संख्या-14/आई/1213559/2026/004-89-1002/29/2025

प्रेषक,

मनोज वर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण निदेशालय,
उ0प्र0, लखनऊ।

व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 23 जनवरी, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-69 के अन्तर्गत लेखाशीर्षकः 2230-03-001-03-प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय के प्रशिक्षण प्रखण्ड का संचालन योजना, 01-वेतन मद में हो रही बचत से 49-चिकित्सा व्यय मद में रू0 11.35 लाख का पुनर्विनियोग किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-आई/362771/2025-UPDTE/5/2025 दिनांक 01.12.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-69 के अन्तर्गत लेखाशीर्षकः 2230-03-001-03-प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय के प्रशिक्षण प्रखण्ड का संचालन योजना, 01-वेतन मद में हो रही बचत से 49-चिकित्सा व्यय मद में रू0 11.35 लाख का पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न बी0एम0-9 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-69 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2230-03-001-03-प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय के प्रशिक्षण प्रखण्ड का संचालन योजना, 01-वेतन मद में हो रही बचत से अनुदान संख्या-69 के ही लेखाशीर्षक 2230-03-001-03-प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय के प्रशिक्षण प्रखण्ड का संचालन योजना, 49-चिकित्सा व्यय मद में रू0 **11.35 लाख (रूपये ग्यारह लाख पैतीस हजार मात्र)** स्वीकृत करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने एवं व्यय किये जाने की राज्यपाल महोदया वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों सहित निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27.03.2025 में दिये गये दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उस मद में पुन: अतिरिक्त मांग नहीं की जायेगी।
3. पुनर्विनियोग की जाने वाली धनराशि का सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में एवं उसी कार्य के लिए किया जायेगा।
4. पुनर्विनियोग मात्र बजट की उपलब्धता हेतु सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रश्नगत कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने के विषय में निदेशालय समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए औचित्य का परीक्षण कर लेंगे।
5. पुनर्विनियोग की जाने वाली धनराशि का सदुपयोग वित्तीय वर्ष में न करने और उसके फलस्वरूप होने वाले आडिट आपत्ति हेतु निदेशालय उत्तरदायी होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

6. निदेशालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पुनर्विनियोग से उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-147, 148, 150 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होगा।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
8. किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता का उत्तरदायित्व निदेशालय का होगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 11,35,000 (रुपये ग्यारह लाख पैंतीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 069 **लेखा शीर्षक** 2230030010300 प्रशिक्षण एवं सेवा योजन निदेशालय के प्रशिक्षण प्रखण्ड का संचालन **मानक मद** 49 चिकित्सा व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्रक:यथोक्त।

भवदीय,
मनोज वर्मा
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2- वित्त नियंत्रक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
4- सम्बंधित जनपद के जिलाधिकारी/कोषाधिकारी (द्वारा निदेशक)।
5- वित्त (व्यय -नियत्रण) अनुभाग-11, वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1/2
6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश,125,जवाहर भवन,लखनऊ।
7- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,
मनोज वर्मा
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदनस्वीकृति /

A089-20252026-89-1002-29-2025-2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु अनुदान संख्या 69 लेखाशीर्षक 2230-03-001-03-प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय के प्रशिक्षण प्रखण्ड का संचालन योजना में पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
069	2230030010300 (प्रशिक्षण एवं सेवा योजन निदेशालय के प्रशिक्षण प्रखण्ड का संचालन)	01 (वेतन)	7,50,00,000 रुपये सात करोड़ पचास लाख मात्र	11,35,000 रुपये ग्यारह लाख पैंतीस हजार मात्र	-11,35,000 रुपये ग्यारह लाख पैंतीस हजार मात्र	-	-	2025-2026

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
069	2230030010300 (प्रशिक्षण एवं सेवा योजन निदेशालय के प्रशिक्षण प्रखण्ड का संचालन)	49 (चिकित्सा व्यय)	7,00,000 रुपये सात लाख मात्र	11,35,000 रुपये ग्यारह लाख पैंतीस हजार मात्र	-	-	2025-2026

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

1. स्तम्भ-3 में दर्शायी गयी धनराशि की बचत सम्भावित है।
2. 03-प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय के प्रशिक्षण प्रखण्ड का संचालन में मद संख्या-49-चिकित्सा व्यय में वर्तमान वर्ष के लम्बित चिकित्सा प्रतिपूर्ति के देयको के भुगतान हेतु रूपये 11.35 लाख की धनराशि की अतिरिक्त आवश्यकता है।
3. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनार्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नही हो रहा है।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

सुनील कुमार सरोज
अनुसचिव।

धर्मपाल पाण्डेय
अनुसचिव।

संख्या : आर.ई.संख्या–बजट-1-240, दिनाँक 16.01.2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष।
2. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी लखनऊ।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
4. वित्त व्यय नियंत्रण अनु0-11, वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1/2।

आज्ञा से
धर्मपाल पाण्डेय
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।